सर्वश्री महादेव इनक्लेव प्रा० लि०, हनुमान नगर, जयपुर, राजस्थान द्वारा नालंदा जिला में अवस्थित बालू घाट, सतौआ, मौजा-कटौना एवं बालू घाट, परमानन्दपुर, मौजा-पटोरिया में बालू खनन के लिए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना-2006 के तहत् दिनांकः 10.03.2018 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोयरी बिगहा, गिरियक, नालंदा के प्रांगण में आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

पर्यावरण मुल्यांकन अधिसूचना-2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार, द्वारा निर्गत टी.ओ.आर. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या-461, दिनांक-23.12.2016 एवं पत्र संख्या-55/SEIAA/17, दिनांकः 02.06.2017 के आलोक में श्री सौरभ जोरवाल, अपर समाहर्त्ता, नालंदा की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांकः 10.03.2018 को अपराह्न 12.30 बजे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोयरी बिगहा, गिरियक, नालंदा के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गई। उपस्थिति पंजी- अनुलग्नक-1

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान, टाईम्स ऑफ इन्डिया एवं हिन्दुस्तान टाईम्स के माध्यम से दिनांकः 08.02.2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

लोक सुनवाई के दौरान श्री नन्द कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करेते हुए पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना-2006 के तहत् बालू घाटों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ट-भूमि एवं दोनों बालू घाटों के उत्खनन क्षमता एवं पद्धति पर प्रकाश डाला।

लोक-सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सौरभ जायसवाल, अपर समाहर्त्ता, नालंदा के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने दोनों खनन क्षेत्रों एवं सामाजिक उत्तर दायित्व आदि के सम्बन्ध में आम-जनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि बालू घाट सतौआ, मौजा-कटौना (स्ट्रेच-1, ब्लॉक-1) प्रखण्ड राजगीर का क्षेत्रफल 26.99 हेक्टेयर एवं बालू घाट, परमानन्दपुर, मौजा-पटोरिया (स्ट्रेच-1, ब्लॉक-2) प्रखण्ड कतरीसराय का क्षेत्रफल 25.08 हेक्टेयर है, जिससे क्रमशः 9,10,908 टन एवं 824508 टन प्रतिवर्ष बालू उत्खनन किया जायेगा। बालू उत्खनन के दौरान उत्पन्न धूल-कण की रोक थाम हेतु सड़को पर जल का छिड़काव किया जायेगा, पहुँच पथ के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जायेगा, बालू की ढुलाई तिरपाल से ढ़क कर कराई जायेगी लीज की अवधि 5 वर्षों की है। इस अवधि में दोनों खनन क्षेत्र में 5500-5500 वृक्ष लगाया जायेगा। खनन कार्य में लगे श्रमिकों के लिए शुद्ध पेय जल, स्थाई शौचालय, विश्राम गृह आदि की व्यवस्था की जायेगी। परियोजना के कुल लागत का 5% राशि क्षेत्र के विकास एवं लाभकारी योजना में व्यय किया जायेगा।

12 ዓ

<u>लोक सुनवाई में उपस्थित निम्नलिखित महानुभावों द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे गये:-</u>

1. **श्री बबन प्रसाद सिंह, कटौना एवं श्री योगेन्द्र बिहारी शर्मा:-** नदी का बालू मेरे खेत में आ गया है। इसका उठाव सरकार द्वारा की जाएगी अथवा मुझे स्वयं उठाव करवाना होगा। खेत ऊँचा-नीचा हो गया है। इसे खेती योग्य बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रावधान है। इस संबंध में पर्षद के पदाधिकारी श्री नन्द कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि खेतों में जमा बालू का उठाव सरकार द्वारा की जाएगी। ऊँचा-नीचा खेत को खेती योग्य बनाने की जिम्मेवारी रैयत की होगी।
2. **श्री उमेश प्रसाद सिंह, पटौरिया:-** रैयती जमीन से बालू उठाने का आदेश सरकार द्वारा सर्वश्री महादेवा इंक्लेव प्रा0 लि0 को दिया गया है अथवा नहीं? इनके द्वारा अवगत कराया कि रैयती जमीन से भी बालू का उठाव किया जा रहा है। साथ ही कहा गया कि रैयती जमीन का मालगुजारी जमीन मालिक द्वारा किया जाता है तो बालू उठाव करने का अधिकार सरकार को कैसे होगी?

   इस संबंध में अपर समाहर्त्ता महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि यह सरकार का नीतिगत मामला है। इस संबंध में जिला खनन कार्यालय से सम्पर्क कर प्रावधान एवं नियमावली की जानकारी प्राप्त कर सकते है।
3. **श्री राजेन्द्र कुमार, कोटा :-** बालू का ढुलाई वाहन द्वारा की जायेगी जिससे आवागमन के क्रम में वायु प्रदूषण होगी। इसके नियंत्रण हेतु क्या उपाय किया जाएगा, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार की जाएगी अथवा नहीं ?

   इस संबंध में परियोजना के सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि धूलकण की रोकथाम के लिए सड़क पर नियमित रूप से जल छिड़काव करायी जाएगी। सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण की जाएगी। बालू का ढुलाई तिरपाल से ढ़ंक कर किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 50 स्थानीय व्यतियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
4. **श्री भोला कुमार, परौरिया:-** इनके द्वारा अवगत कराया गया कि 14 एकड़ रैयती जमीन से बालू का उठाव कम्पनी द्वारा कर लिया गया है। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता महोदय द्वारा इस विषय की जाँच अंचलाधिकारी कतरीसराय के देख-रेख में कराने का आश्वासन दिया गया।
5. **श्री बब्लू कुमार, घोसरामां:-** सरकार द्वारा रैयती एवं नदी का नापी करा कर मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि खेतों में बालू आ जाने के कारण फसल नहीं हो पा रहा है। साथ ही ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य होना चाहिए। इस संबंध में अपर समाहर्त्ता महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि नापी का कार्य अंचलाधिकारी के देख-रेख में किया जाएगा। साथ ही सूचित किया गया कि ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सलाहकार द्वारा बताया गया जिसका अनुपालन कम्पनी द्वारा की जाएगी।

6. **श्री मृत्युंजय कुमार** :- पेड़ पौधा के लिए क्या योजना है। यह पेड़ नदी में या सड़क के किनारे लगाया जायेगा। साथ ही कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए शौचालय का व्यवस्था किया जाएगा अथवा नहीं।

इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि नदी में वृक्षारोपण करने से उसका कटाव हो जाएगा। इसलिए वृक्षारोपण करने की योजना सड़क के दोनों तरफ अथवा सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी जगह पर की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत 5500 पेड़ लगाने का प्रावधान किया गया है।

7. **श्री विपीन कुमार सिंह, पटौरिया**:- इनके द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के अंतर्गत किन-किन प्लॉट से बालू खनन किया जाना है अवगत कराया जाय। इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा इस परियोजना में आनेवाले सभी प्लांट नं0- संबंधित व्यक्ति को लिखा दिया गया।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के पश्चात जनता के प्रति आभर व्यक्त करते हुए बालू उत्खनन से सम्बन्धित दोनों परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई तथा लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

27/7/18
(नन्द कुमार)
क्षेत्रीय पदाधिकारी

27/7/18
(सौरभ जोरवाल)
अपर समाहर्त्ता, नालंदा

...2262265, फक्स- 0612-2261050
ई-मेल-bspcb@yahoo.com, वेबसाईट-http://bspcb.bih.nic.in

उपस्थिति सूची

मे0 महादेव इनक्लेव प्रा0 लि0, हनुमाननगर, जयपुर से बालू घाट, सतौआ, मौजा कटौना एवं बालू घाट, परमानन्दपुर, मौजा–पटोरिया में बालू खनन हेतु परियोजना स्वीकृति के लिए आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 10.03.2018 के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Saurabh Jorwal	ADM, नालंदा	[signature] 10/3/18
2.	Nand Kumar	A.O. B.S.P.C.B. Patna	NandD 10/3
3.	Ravindra Ram	BDC-cum DMO, Nalanda	[signature] 10/3/18
4.	Sanjeev Kumar	BDO Katrisarai	[signature] 10/3/15
5.	धनंजय प्रसाद	प्र० [illegible] कतरीसराय	धनंजय प्रसा
6.	S.N. Thakur.	J.E.E, Bihar State Pollution Control Board Patna.	[signature] 10/3/2018
7.	Nate Kam Autr mahadeu Evecu	Mahadeu Enclave Pvt Ltd Nalanda. Bihar	[signature]
8.	राजेन्द्र	ग्राम खोड़ा त० रावतान जिला हनुमान जि.G	[signature]
9.	ओमप्रकाश सिंह	मतोईरी	ओमप्रकाश सिंह
10.	राजेन्द्र यादव	पटोरीया	राजेन्द्र यादव
11.	नागेन्द्र प्र	पटोरिया	नागेन्द्र
12.	BIPIN Kumar	Patoriya	B.K.S.
13.	परमानन्द प्र० सिंह	पटोरीया	परमानन्द प्र० सिंह
14.	[illegible] प्र० सिंह	कटौना	[signature]
15.	रामीता यादव	पटोरिया	रामीता या

16.	संजय कुमार	प्यारेपुर	संजय कुमार
17.	अरुणा सिंह	पटोरिया	अरुणा सिंह
18.	प्रकाश महतो	कोयरी बिगहा	प्रकाश महतो
19.	मधुश्री सिंह	पटोरिया	मधुश्री सिंह
20.	[illegible] सिंह	पटोरिया	
21.	आनन्द सिंह	पटोरिया	आनन्द सिंह
22.	शिवनन्दन यादव	पटोरिया	शिवनन्दन यादव
23.	अखलेश प्र०	पटोरिया	अखलेश प्र०
24.	Bhola Kumar	Patoriya	[illegible]
25.	पिन्टू कुमार	पटोरिया	पिन्टू कुमार
26.	महेश कुमार	पटोरिया	महेश कुमार
27.	द्वारका प्रसाद	सतौआ	द्वारिका
28.	राजकुमार	कतनी [illegible]	राजकुमार
29.	भरत प्रसाद	कोयरी बिगहा	भरत प्रसाद
30.	शैलेश प्रसाद	,, ,,	शैलेश प्र०
31.	संतोष कुमार	पटोरिया	[illegible]
32.	राजाराम कुमार	पटोरिया	[illegible]
33.	Gopal Kumar	,,	[illegible]
34.	प्रवीण सिंह	पटोरिया	प्रवीण सिंह
35.	भरत सिंह	पटोरिया	भरत सिंह

36.	शिवदानी प्रसाद	कोयरी बिगहा	शिवदानी प्रसाद
37.	विजय सिंह	परोरीय	विजय सिंह
38.	किशोरी प्रसाद	कोयरी बिगहा	किशोरी प्रसाद
39.	कन्हैया कुमार	कोयरी बिगहा	Kanhaiya Kumar
40.	Chandan Vidyarthi	Koyari Bigha	Chandan
41.	Tinku Kumar	Koyari Bigha	Tinku Kumar
42.	मनोज सिंह	घोसरावाँ	मनोज सिंह
43.	पप्पू सिंह	घोसरावाँ	[illegible]
44.	संजय सिंह	घोसरावाँ	संजय सिंह
45.	Bablu Kumar	Ghosarawa	B Kumar
46.	राम बालक्ष्य प्र.	पतेरिया	राम बालक्ष्य प्र.
47.	कन्हैया जी	पतेरिया	कन्हैया जी
48.	मुकेश सिंह	कयौरा	मुकेश सिंह
49.	पिन्टु सिंह	दरवेशपुरा	पिन्टु सिंह
50.	जितेन्द्र कुमार	दरवेशपुरा	जितेन्द्र कुमार
51.	मुकेश कुमार	दरवेशपुरा	मुकेश कुमार
52.	राज नारायण कुमार	मरकट्टा	राज नारायण कुमार
53.	पंकज कुमार	,,	पंकज कुमार
54.	प्रेमचन्द कुमार	दरवेशपुरा	Premchand
55.	विनोद कुमार	करोथा	विनोद कुमार

56.	Rajeev Kumar	Katauna.	Rajeev Kumar
57.	Hoshiyar Singh	Satua	Hoshiyar Singh
58.	Vijay Kumar	Satua	[illegible]
59.	Shambhoo Shah	Gram Gaon	Shambhoo Shah
60.	वासुदेव शलतरी	मदय	वार्ड 10
61.	Amrit	Satua	Amrit
62.	नरेश राजवंशी	मदाय	नरेशराजवंशी
63.	लालन सिंह	कटौना	लालन सिंह
64.	शैलेन्द्र प्रसाद	पटोरिया	शैलेन्द्र प्रसाद
65.	संजय सिंह	पटोरीया	संजय सिंह
66.	रंजन कुमार	कटौना	रंजन कुमार
67.	रमाशीश प्रसाद	कोयरी बिगहा	रमाशीश प्रसाद
68.	अमृत महतो	कोयरी बिगहा	
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			